

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक-5.7.18

मि.न.- 70 / 2018

सरकार बनाम शिम्भूदयाल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डित पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243 रकबा 0.26 किस्म जमीन सि0चक गै0मु0रास्ता पर शिम्भूदयाल पुत्र रामजीलाल जाति गुजर निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 50मीटर भूमि पर ईधन छडी व डांकला डाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सुचनापरान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

अतः शिम्भूदयाल पुत्र रामजीलाल जाति गुजर निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243 रकबा 0.26 जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.005 है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 20 का पचास गुणा 10 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 5-7-18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

दिनांक 2018 0 19 के पृ० ले० 4
त पृ० संख्या 69 पर 11
रूप से कार्यवाही किये गये ।

10

राजस्व अधिकारी
कोटपूतली